कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0–सम्बद्धता/01/1292/2011, दिनांक 07 मई, 2011

शीर्ष प्राथमिकता (पंजीकृत/स्पीडपोस्ट)

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक/विभागाध्यक्ष,
समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध म0गां0 काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

विषयः स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में सत्र 2010–11 के बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में बैठक।

महोदया,

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक सं0–1477/सत्तर–2–2011–16(70)/2005टी.सी. लखनऊ, दिनांक 29.04.2011 के द्वारा निजी क्षेत्र की संस्थाओं में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम की फीस निर्धारण हेतु प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। **विद्यापीठ से सम्बद्ध संस्थाओं की बैठक दिनांक 22.05.2011 को अपराह्न 3.00 बजे सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय कक्ष में आहूत हैं** उक्त समिति द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए फीस निर्धारण किया जाएगा।

1. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का स्वरुप
2. उपलबध अवसंरचना
3. व्यावसायिक संस्था की उन्नति एवं विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत
4. प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय
5. संस्था के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय
6. अन्य कोई सुसंगत कारण

उल्लिखित बिन्दुओं का सम्पूर्ण विवरण, संस्था/महाविद्यालय के चार्टड एकाउन्टेंट से तैयार आडिट रिर्पोट तथा अपनी संस्था के फीस निर्धारण के सुझाव सहित उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि संस्था का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियमानुसार फीस निर्धारित कर दी जाएगी।

अतः शीर्ष प्राथमिकता पर शासन के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आई0 पी0 झा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ–

1. मा0 कुलपति जी सूचनार्थ।
2. विशेष सचिव उच्च शिक्षा–2 उत्तर प्रदेश शासन को उनके निर्देश के क्रम में सूचनार्थ कि समस्त निजी सस्थाओं/महाविद्यालयों का उनके Email पर सूचना प्रेषित की जा रही हैं तथा स्पीड पोस्ट से भी आदेश प्रेषित किया जा रहा हैं साथ ही पत्र विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर भी सूचना उपलब्ध है।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सेन्टर को इस आशय से कि सूचना विश्वविद्यालय के बेवसाइट पर अपलोड कर दें।
5. सम्पादक– दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान को इस आशय से कि कृपया जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. सूचनापट्ट।

07.05.11
(आई0 पी0 झा)
कुलसचिव